मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन.

क्रमांक/ 94 /सात/शा-8/2023

भोपाल, दिनांक 01 /02/2023
03

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

विषय:- राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि के मानदण्डों में संशोधन।

....

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार भारत सरकार के नवीन **SDRF /NDRF** मानदंडों में किये गये संशोधन अनुरूप राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के परिशिष्ट-1 में वर्तमान में प्रावधानित मानदंडों में संशोधन करते हुए आर्थिक सहायता को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

2/ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के परिशिष्ट-1 के पद (एक) की कंडिका (12) लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए - बाढ़ की स्थिति में कृषि योग्य भूमि वाले खेतों में रेत/पत्थर (3 इंच से अधिक) आ जाने पर, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर मलबा हटाने के लिये, फिश फार्म में डिसेल्टिंग/पुनस्थापन/ मरम्मत सफाई के लिये राहत "राशि रूपये 12,200/- प्रति हैक्टेयर" के स्थान पर "राशि रूपये 18,000/- प्रति हैक्टेयर" प्रतिस्थापित किया जाता है।

3/ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के परिशिष्ट-1 के पद (एक) की कंडिका (12-क) भूस्खलन, हिमस्खलन, नदियों के रास्ता बदलने के कारण सीमांत या लघु कृषक के भूमि स्वामित्व की भूमि के नष्ट होने पर राहत "राशि रूपये 37,500/- प्रति हेक्टेयर" के स्थान पर "रूपये 47,000/- प्रति हेक्टेयर" प्रतिस्थापित किया जाता है।

4/ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के परिशिष्ट-1 के पद (दो) पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिये आर्थिक सहायता-

चाहे वह खातेदार हो अथवा भूमिहीन हो सभी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से जिसमें आग लगने के कारण जलने से हुई पशु/पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि भी सम्मिलित हैं, के लिये निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि देय होगी:-

Other latter

पद (दो) (क) पशु हानि के लिए-

(राशि रू. में प्रति पशु अधिकतम)

1	दुधारू पशु- (क) भैंस/गाय/ऊंट/याक/मिथुन आदि (ख) भेड़/बकरी	37,500/- (रूपये सैंतीस हजार पांच सौ) 4,000/- (रूपये चार हजार)
2	गैर दुधारू पशु- (क) बैल/भैंसा/ऊंट/घोड़ा आदि (ख)बछड़ा(गाय/भैंस)/गधा/पोनी/खच्चर	32,000/- (रूपये बत्तीस हजार) 20,000/- (रूपये बीस हजार)
3	सुअर	4,000/- (रूपये चार हजार)

राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के परिशिष्ट-1 के पद (दो-क) अस्थायी पशु शिविर-

प्राकृतिक प्रकोप के कारण प्रभावित पशुओं के लिये कलेक्टर अस्थायी पशु शिविर स्वीकृत कर सकेंगे, जिसकी अधिकतम अवधि 15 दिवस होगी। ऐसे शिविरों में रखे गये बड़े पशु के लिये ''रूपये 70/- प्रतिदिवस प्रतिपशु'' के स्थान पर ''रूपये 80/- प्रतिदिवस प्रतिपशु'' तथा छोटे पशुओं के लिये "रूपये 35/- प्रतिदिवस प्रतिपशु'' के स्थान पर ''रूपये 45/- प्रतिदिवस प्रतिपशु'' प्रतिस्थापित किया जाता है।

पद (दो) (ख) पक्षी (मुर्गी/मुर्गा) हानि के लिए-

(राशि रू. में प्रति पक्षी)

1	मुर्गी/मुर्गा (10 सप्ताह से अधिक आयु के)	100/- (रूपये सौ)

Other latter

5/ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के परिशिष्ट-1 के पद (तीन) नष्ट हुए मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता-

किसी भी प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण या वन्य प्राणियों द्वारा मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हो या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ हो तो निम्नानुसार आर्थिक अनुदान सहायता दी जा सकेगी:-

क्रमांक	विवरण		मकान क्षति के मामलों में दी जाने वाली अनुदान सहायता
1	2		3
	1)पूर्ण नष्ट, (मरम्मत योग्य नहीं)	पक्का मकान	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 1,20,000/- प्रति घर (रूपये एक लाख बीस हजार मात्र) मैदानी इलाको में रूपये 1,30,000/- प्रति घर (रूपये एक लाख तीस हजार मात्र) पहाड़ी क्षेत्रों में
		कच्चा मकान	रूपये 1,20,000/- प्रति घर (रूपये एक लाख बीस हजार मात्र) मैदानी इलाको में रूपये 1,30,000/- प्रति घर (रूपये एक लाख तीस हजार मात्र) पहाड़ी क्षेत्रों में
		झुग्गी/ झोपड़ी (झुग्गी झोपड़ी से तात्पर्य है कच्चे घर से निम्नतर फूस/मिट्टी/ प्लास्टिक शीट आदि से निर्मित घर)	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 8,000/- (रूपये आठ हजार मात्र)

	2) गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकान (जहां क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हो)	पक्का मकान-	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 1,20,000/- प्रति घर (रूपये एक लाख बीस हजार मात्र) मैदानी इलाको में रूपये 1,30,000/- प्रति घर (रूपये एक लाख तीस हजार मात्र) पहाड़ी क्षेत्रों में
		कच्चा मकान-	रूपये 1,20,000/- प्रति घर (रूपये एक लाख बीस हजार मात्र) मैदानी इलाको में रूपये 1,30,000/- प्रति घर (रूपये एक लाख तीस हजार मात्र) पहाड़ी क्षेत्रों में
	3) आंशिक क्षतिग्रस्त (जहां क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो)	पक्का मकान-	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 6,500/- (रूपये छः हजार पांच सौ मात्र)
		कच्चा मकान-	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 4,000/- (रूपये चार हजार मात्र)
	4) पशु घर	(मकान से संलग्न पशु घर के लिये)	वास्तविक क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 3,000/- प्रति पशु घर

6/ **राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के परिशिष्ट-1 के पद (छः) (1) (क) शारीरिक अंग हानि के लिए आर्थिक सहायता-** नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान, भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ-साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या मकान में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए) के कारण सरकारी चिकित्सक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल के चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किये जाने पर जहां 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक विकलांगता के लिए "रूपये 59,100/- (रूपये उनसठ हजार एक सौ मात्र) प्रति व्यक्ति" के स्थान पर "रूपये 74,000/- (रूपये चौहत्तर हजार मात्र) प्रति व्यक्ति" एवं 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर "रूपये 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) प्रति व्यक्ति" के स्थान पर "रूपये 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) प्रति व्यक्ति" प्रतिस्थापित किया जाता है।

7/ **राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के परिशिष्ट-1 के पद (छः) (2) गंभीर शारीरिक क्षति जिसमें व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहे** नैसर्गिक विपत्तियों अर्थात् तूफान, भूकम्प, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन के साथ-साथ आकाशीय बिजली गिरने अथवा आग (खलिहान या मकान में आग लगने की दुर्घटना को सम्मिलित करते हुए) के कारण नाव दुर्घटना से घायल हो जाने पर अथवा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नदी या जलाशय में गिरने या पहाड़ी आदि से खड्ड में गिरने के कारण इन वाहनों पर सवार व्यक्तियों को महत्वपूर्ण अंग की हानि हुई है यथा हाथ, पैर फ्रेक्चर जैसी गंभीर शारीरिक क्षति होने पर एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने के मामले में कलेक्टर, प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए "रूपये 12,700/- (रूपये बारह हजार सात सौ) तक" के स्थान पर "रूपये 16,000/- (रूपये सौलह हजार) तक" तथा एक सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती रहने के मामले में कलेक्टर, प्रमुख चिकित्सक से आवश्यक परामर्श करते हुए "रूपये 4,300/- (रूपये चार हजार तीन सौ) प्रति व्यक्ति" के स्थान पर "रूपये 5,400/- (रूपये पांच हजार चार सौ) प्रति व्यक्ति" प्रतिस्थापित किया जाता है।

8/ **राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के परिशिष्ट-1 के पद (नौ-क) (1) - बुनकरों/हस्त शिल्पियों को दी जाने वाली सहायता-**

(1) नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकर/परम्परागत शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्त शिल्पी को उनके उपकरण/औजार क्षतिग्रस्त होने पर प्रति बुनकर/शिल्पी अधिकतम

"रूपये 4100/- (रूपये चार हजार एक सौ) तक" के स्थान पर "रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) तक" प्रतिस्थापित किया जाता है।

(2) नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकर/परम्परागत शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्त शिल्पी को उनके द्वारा तैयार माल अथवा कच्चे माल के क्षतिग्रस्त होने पर कच्चे माल या धागा और अन्य तत्संबंधी रंग, रसायन आदि क्रय करने के लिए प्रति बुनकर/शिल्पी अधिकतम "रूपये 4100/- (रूपये चार हजार एक सौ) तक" के स्थान पर "रूपये 5,000/-(रूपये पांच हजार मात्र) तक" प्रतिस्थापित किया जाता है।

9/ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के परिशिष्ट-1 के पद (बारह) - बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता-

बाढ़ व तूफान से प्रभावित मछली पकड़ने वालों की नावों (जो मशीन से संचालित न हों व जिनका बीमा न कराया गया हो), डोंगियों, मछली पकड़ने के जालों तथा अन्य उपकरणों को हुई हानि के लिए निम्नानुसार सहायता अनुदान दिया जाएगा:-

1	नाव नष्ट होने पर	क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 15000/- (रूपये पंद्रह हजार)
3	जाल या अन्य उपकरणों की मरम्मत के लिए	क्षति के आंकलन के आधार पर अधिकतम रूपये 3,000/-(रूपये तीन हजार)
4	नाव की आंशिक क्षति होने पर मरम्मत के लिए	रूपये 6,000/- (रूपये छ: हजार)

<u>(बारह-क) (2) - प्रभावित मछुआरो को दी जाने वाली अन्य सहायता -</u>

नैसर्गिक आपदा यथा सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकम्प आदि से मछली पालने वालो को मछली बीज नष्ट हो जाने पर प्रभावित को "रूपये 8,200/- (रूपये आठ हजार दो सौ) तक प्रति हेक्टेयर" के स्थान पर "रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार) तक प्रति हेक्टेयर" के मान से सहायता अनुदान दिया जाएगा, अनुदान की यह राशि उन मामलों में देय नही होगी। जिनमें मछली पालन विभाग की योजना के अंतर्गत एक बार दिये गये आदान-अनुदान (सबसिडी) के अतिरिक्त सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत सहायता/अनुदान दिया गया है।

Other latter

10/ उपरोक्त सभी संशोधन दिनांक 19 फरवरी, 2023 से प्रभावशील होंगे।

11/ उपरोक्त संशोधन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 का भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय गोयल)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ.क्रमांक/ 95 /सात/शा-8/2023 **भोपाल, दिनांक 01 /02/2023** 03

प्रतिलिपि:-

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग।
3. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

सूचनार्थ:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश।
2. निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
3. निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क, (वल्लभ भवन प्रकोष्ठ), भोपाल।

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Other latter